न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 159 / 2022

1 नानची देवी पत्नी भागुराम
2 शिवप्रसाद पुत्र भागुराम
3 सत्यनारायण पुत्र भागुराम
समस्त जाति माली निवासीगण हाल सैनीपुरा पटवार हल्का बड़ागांव तहसील गुढ़ागौड़जी जिला झुन्झुनू राज.।

अपीलांट

बनाम

1 अणची देवी पत्नी बेगाराम
2 गोविन्दराम पुत्र जोधाराम
3 नारायणी पत्नी जोधाराम
4 प्रहलाद दत्तक पुत्र बेगाराम
समस्त जाति माली निवासीगण हाल सैनीपुरा पटवार हल्का बड़ागांव तहसील गुढ़ागौड़जी जिला झुन्झुनू राज.।
5 बाबुलाल पुत्र स्व. श्री भोला
6 राजेन्द्र पुत्र स्व. श्री भोला
7 सुरेश पुत्र स्व. श्री भोला
8 तीजा पुत्री स्व. भोला
समस्त जाति माली निवासीगण हाल सैनीपुरा पटवार हल्का बड़ागांव तहसील गुढ़ागौड़जी जिला झुन्झुनू राज.।
9 गीता पुत्र स्व. भोला पत्नी श्री फूलचन्द जाति माली निवासी उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू राज.।
10 शारदा पुत्री स्व. श्री भोला पत्नी लिछमण जाति माली निवासी उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू राज.।
11 मुकेश पुत्र जोधाराम

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

12 लीलाधर पुत्र जोधाराम
समस्त जाति माली निवासीगण हाल सैनीपुरा पटवार हल्का बड़ागांव तहसील गुढ़ागौड़जी जिला झुन्झुनू राज.।

रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 225 आर.टी.एक्ट. 1955
खिलाफ निर्णय बअदालत उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू मुकदमा उनवानी
नानची देवी वगै. बनाम अणची देवी वगै.
अंतर्गत आदेश 09 नियम 13 जा.दी. मु.नं.
32/2021 निर्णय दिनांक 28.09.2022

उपस्थिति :

1. श्री विजयपाल, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री संदीप सैनी, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

—निर्णय—

दिनांकः—28.10.24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी द्वारा मुकदमा नम्बर 32/2021 में पारित निर्णय दिनांक 28.09.2022 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4 व रेस्पोडेन्ट संख्या 5 से 10 के पिता भोला व रेस्पोडेन्ट संख्या 11 व 12 ने

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झनूं)

अपीलान्टस व अन्यो के विरूद्ध विचारण न्यायालय के यहां एक प्रार्थना पत्र अ. धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया। विचारण न्यायालय ने उपरोक्त प्रार्थना पत्र मु.नं. 131/2020 को अपीलान्ट के विरूद्ध एकपक्षीय रूप से दिनांक 12.01.2021 को निर्णित किया। उक्त एकपक्षीय निर्णय को अपास्त करवाने के लिए अपीलान्टस ने विचारण न्यायालय के यहां अन्दर मियाद प्रार्थना पत्र अ. आदेश 09 नियम 13 जा.दी. प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय ने अपीलान्टस के उक्त प्रार्थना पत्र को निर्णय दिनांक 28.09.2022 के द्वारा अस्वीकार कर खारिज किया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में अपीलांट की सम्यक तामील नहीं हुई है। विचारण न्यायालय में अपीलांट के नाम जारी सम्मन के समय से एकपक्षीय कार्यवाही होने तक कोविड महामारी चल रही थी। कोविड महामारी के दौरान अपीलांट की सम्यक तामील मानते हुए एकपक्षीय कार्यवाही कर विचाराधीन अंतिम निर्णय पारित करने में विधिक त्रुटि की है। विचारण न्यायालय के समक्ष अपीलांट द्वारा एकपक्षीय कार्यवाही को मनसुख करवाने के लिए आदेश 09 नियम 13 का आवेदन प्रस्तुत किया गया था। विचारण न्यायालय द्वारा विधिक प्रावधानों एवं कोविड महामारी के बिन्दु पर गौर किये बिना विचाराधीन निर्णय से आवेदन खारिज कर विधिक त्रुटि की है। अतः अपील स्वीकार कर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय दिनांक 28.09.2022 एवं 12.01.2021 को पारित धारा 251 का आदेश अपास्त कर प्रकरण विचारण न्यायालय को पुनः सुनवाई हेतु प्रति प्रेषित किया जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में अपीलांट की सम्यक तामील हुई है। अपीलांट की तामील जरिये रजिस्ट्री करवाई गई है। बाद तामील अनुपस्थित रहने पर विधि अनुसार एकपक्षीय कार्यवाही कर मूल पत्रावली में गुणावगुण पर विधि सम्मत निर्णय दिनांक 12.

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

01.2021 को पारित किया गया है। विचारण न्यायालय ने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर पत्रावली में प्रस्तुत सम्मनों का अवलोकन कर विस्तृत विवेचन कर विचाराधीन निर्णय से अपीलांट का आवेदन आदेश 09 नियम 13 खारिज किया है। इसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में अपीलांट की सम्यक तामील नहीं हुई है। विचारण न्यायालय में अपीलांट के नाम जारी सम्मन के समय से एकपक्षीय कार्यवाही होने तक कोविड महामारी चल रही थी। कोविड महामारी के दौरान अपीलांट की सम्यक तामील मानते हुए एकपक्षीय कार्यवाही कर विचाराधीन अंतिम निर्णय पारित करने में विधिक त्रुटि की है। विचारण न्यायालय के समक्ष अपीलांट द्वारा एकपक्षीय कार्यवाही को मनसुख करवाने के लिए आदेश 09 नियम 13 का आवेदन प्रस्तुत किया गया था। विचारण न्यायालय द्वारा विधिक प्रावधानों एवं कोविड महामारी के बिन्दु पर गौर किये बिना विचाराधीन निर्णय से आवेदन खारिज कर विधिक त्रुटि की है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या 32/2021 में पारित निर्णय दिनांक 28.09.2022 एवं धारा 251 ए प्रकरण संख्या 131/2020 में पारित विचाराधीन निर्णय दिनांक 12.01.2021 को अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि अपीलांट से जवाबदेही प्राप्त कर उभयपक्ष की उपस्थिति में पुनः मौका रिपोर्ट प्राप्त कर बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 29.11.2024 को उपस्थिति देवें।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

निर्णय आज दिनांक 28.10.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर